न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 06/2016

आम मुस्लिम समाज रूपनगढ़ जरिये:–

1. श्री फकीर मौहम्मद पुत्र श्री नूरमौहम्मद जाति मुसलमान निवासी छीपों का मौहल्ला रूपनगढ़ जिला अजमेर।
2. श्री नईम खान पुत्र श्री नन्ने खां अब्बासी जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 6, छीपों का मौहल्ला, रूपनगढ़, जिला अजमेर।
3. श्री सलीम पुत्र श्री कमाल मंसूरी जाति मुसलमान निवासी रूपनगढ़ जिला अजमेर।

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नूरमौहम्मद पुत्र श्री रहीम बक्स जाति छीपा (मृतक जरिये वारिसान):–

1/1 श्री फरीद मौहम्मद

1/2 श्री मुश्ताक मौहम्मद
पुत्रगण श्री नूरमौहम्मद छीपा निवासीगण छीपों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 6, मुकाम पोस्ट रूपनगढ़, जिला अजमेर।

1/3 खातून बेगम पुत्री श्री नूरमौहम्मद पत्नी श्री बाबू उर्फ मौहम्मद शरीफ छीपा, निवासी छीपों का मौहल्ला, वार्ड नम्बर 6, मुकाम पोस्ट रूपनगढ़, अजमेर।

1/4 मुन्नी बेगम पुत्री श्री नूरमौहम्मद पत्नी श्री मौहम्मद फारूक उर्फ कालू छीपा निवासी होद का दरवाजा के बाहर, गुलाब बाड़ी के सामने मुकाम पोस्ट कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर।

1/5 जुलेखा पुत्री श्री नूरमौहम्मद पत्नी श्री मौहम्मद अंसारी छीपा निवासी छीपों का मौहल्ला वार्ड नम्बर 6, मुकाम पोस्ट रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।

1/6 जन्नत बेगम पुत्री श्री नूरमौहम्मद पत्नी श्री मौहम्मद सलीम पुत्र मौहम्मद युसूफ छीपा, निवासी छीपा कॉलोनी नागौरी गेट, पुलिस चौकी के पीछे, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर।

......अप्रार्थीगण

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रकरण संख्या 32/2016

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।

......प्रार्थी

बनाम

1. श्री फरीद मौहम्मद
2. श्री मुश्ताक अहमद

   पुत्रगण श्री नूरमौहम्मद
3. जैतून
4. खातून
5. मुन्नी
6. जुलेखा
7. जनता

   पुत्रियां श्री नूरमौहम्मद छीपा समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर।

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– **1.** श्री रामदेव गुर्जर, वकील प्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
2. श्री समीर अहमद खान, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।
4. श्री अजीत सिंह राठौड़, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 04.01.2017

उपरोक्त दोनों ही प्रकरणों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दु नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 31.05.1965 को ग्राम रूपनगढ़ में आयोजित कैम्प में आंवटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा श्री नूरमौहम्मद पुत्र श्री रहीम बक्श जाति

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

मुसलमान निवासी ग्राम रूपनगढ़ के पक्ष में ग्राम रूपनगढ़ के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1236 कुल रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान में से 10 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया गया, इसके पश्चात् उभयपक्ष के वकीलों द्वारा लिखित बहस पेश की गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के काबिज काश्त होने के साथ ही भूमिहीन होने के आधार पर किया गया था जबकि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन कब्रिस्तान होने के कारण भू राजस्व अधिनियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित होने के साथ ही सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि होने के कारण किसी भी व्यक्ति को आंवटित नहीं की जा सकती। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 2011 पेज 659, आर.आर.टी. 2004(2) पेज 1030 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर कभी भी आवंटी अथवा उनके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं रहा जबकि विवादित भूमि लगातार पिछले 50—60 वर्षों से मौके पर मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान के रूप में काम में ली जा रही है एवं राजस्व रेकार्ड में भी कब्रिस्तान भूमि का इन्द्राज है, इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में नियमन/आवंटन कर दी जो गैर कानूनी है ऐसे आवंटन/नियमन को निरस्त कराने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है विवादित भूमि को मुस्लिम समाज द्वारा कब्रिस्तान के रूप में काम में लिया जा रहा है तथा मौके पर आज भी कच्ची पक्की कई कब्रें बनी हुई है। ऐसी भूमियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण अवगत होने के पश्चात् स्वतः ही आवंटन/नियमन को निरस्त कर दिया जाता है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि वर्किंग जमाबंदी के कॉलम संख्या 5 में गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज है तथा उक्त भूमि में से 10 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

है कि विवादित भूमि के साबिक खसरा नम्बर 1064 रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा था। बंदोबस्त जमाबंदी संवत् 2020 के अनुसार भूमि की किस्म बारानी प्रथम 4 बीघा 2 बिस्वा बारानी द्वितीय 13 बीघा 18 बिस्वा व बंजड़ दोयम 13 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है। तथा गिरदावरी संवत् 2020–22, 2034–37, 2038–41 में भी उपरोक्तानुसार प्रविष्टियां दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2047–49 में खसरा नम्बर 1236/1 गैर खातेदार श्री नूरमौहम्मद रकबा 10 बीघा किस्म बंजड़ दर्ज है। अर्थात विवादित भूमि कब्रिस्तान दर्ज नहीं है। उन्होंने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 1064 के नये खसरा नम्बर 1233 रकबा 13 बिस्वा, 1234 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1237 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, 1235 रकबा 18 बिस्वा एवं 1236 रकबा 23 बीघा 14 बिस्वा बनाये गये जो एकीकरण जमाबंदी संवत् 2020 खसरा गिरदावरियां तथा जमाबंदी संवत् 2042–45 के अनुसार कब्रिस्तान दर्ज नहीं होकर बारानी एवं बंजड़ दर्ज रही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पिता श्री नूरमौहम्मद को साबिक खसरा नम्बर 1064 रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि दिनांक 31.05.1965 को आंवटन के वक्त बंजड़ प्रथम दर्ज होना स्पष्ट है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में तस्दीकशुदा नामान्तरकरण संख्या 3 के कॉलम संख्या 3 में खसरा नम्बर 1064 रकबा 10 बीघा व कॉलम संख्या 5 में किस्म बंजड़ प्रथम दर्ज है तथा कॉलम संख्या 10 में नये खसरा नम्बर 1236/1 कॉलम 11 में रकबा 10 बीघा तथा कॉलम 12 में बंजड़ दर्ज है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि जमाबंदी संवत् 2042–45 में विवादित भूमि किस्म बंजड़ दर्ज थी, लेकिन जमाबंदी संवत् 2046–49 में राजस्व एजेन्सी द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बंजड़ प्रथम को कोष्ठक में अंकित कर उसके उपर गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज कर दिया लेकिन किस आदेश की पालना में दर्ज किया गया है स्पष्ट नहीं है। राजस्व ऐजेन्सी को किस्म परिवर्तन का क्षेत्राधिकार नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1989 पेज 203 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि गैर कानूनी रूप से परिवर्तित की गई प्रविष्टि के आधार पर आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा संवत् 2045 में 10 बीघा भूमि पर बाजरा, 2054 में 5 बीघा पर पापड़ा, 2060 में 6 बीघा पर बाजरा तथा 4 बीघा पर मूंग एवं 2061 में 6 बीघा बाजरा तथा 3 बीघा मूंग की फसल काश्त की गई है, स्पष्ट है कि आवंटन नियमों की पालना में लगातार काश्त की जा रही है। उन्होंने आगे कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 31.05.1965 को आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत किया गया था जबकि

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा आवंटन नियम 1970 अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो संधारण योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.बी.जे. (12)2005 पेज 113 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु लगभग 51 वर्ष के भारी विलम्ब पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया संधारण योग्य नहीं है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 2001 पेज 127 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे स्पष्ट सिद्व हो कि आंवटी द्वारा कपटपूर्वक अथवा मिथ्या कथन कारित कर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.डी. 1993 पेज 800 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अप्रार्थीगण आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर होकर भूमिहीन कृषक है जिनके सम्पूर्ण परिवार का जीविकोपार्जन कृषि एवं कृषि मजदूरी पर आधारित है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थीगण के समक्ष जीविकोपार्जन की कठोर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर राजस्व विभाग द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित करते हुए दर्ज गैर मुमकिन कब्रिस्तान की प्रविष्टि को तर्क कर भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार दुरूस्त करने का आदेश प्रदान कर अप्रार्थीगण के नाम विवादित भूमि बहैसियत खातेदार दर्ज करने के आदेश पारित करावें।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज है जो किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन योग्य नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित खसरा नम्बर 1236/1 रकबा 10 बीघा भूमि मूल खसरा नम्बर 1236 में शामिल है जिसकी राजस्व नक्शें में न तो तरमीम है तथा न ही मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, इसके अतिरिक्त विवादित भूमि में से ग्राम रूपनगढ़ से भदूण रोड़ बनी हुई है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा विवादित भूमि मुस्लिम समाज के लोगों के कब्रिस्तान

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
(अजमेर)

Scanned by CamScanner

के रूप में काम में आ रही है। इसके साथ ही अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में दिनांक 31.05.1965 को भूमि का आवंटन किया गया था जिसके लगभग 20 वर्ष पश्चात् आंवटी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 3 दिनांक 03.06.1985 से गैर खातेदारी दर्ज की गई इसके पश्चात् आदिनांक तक खातेदारी दर्ज नहीं होने का मुख्य कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 04.01.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
(किशोर कुमार)
अपर जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner